न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 78/2023

GCMS NO. : 2023/157

-: प्रार्थिया :-

बिदामी पत्नी तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी- मेघवालों का बास डिगरना, तहसील- जैतारण, जिला- ब्यावर राज०।

बनाम

-: अप्रार्थीगण :-

1. तहसीलदार जैतारण जिला ब्यावर राज०।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः- तारीख रजू:.08/06/2023

1. श्री राजूराम कुमावत, श्री रमेश कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थिया ।
2. सरकार राज पैरोकार तहसीलदार जैतारण।

-:: निर्णय ::-

दिनाँकः- 06/05/2024

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा डिगरना, पटवार हल्का डिगरना, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर राजस्थान में प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 798 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी दोयम खसरा नम्बर 799 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थिया एक मात्र खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर प्रार्थिया की खातेदारी कृषि भूमि अलग से तरमीम हो रखी है। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है, जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थिया की आराजी खसरा नम्बर 798, 799 में जाने के लिए वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता इन्द्राज नहीं है तथा प्रार्थिया वर्तमान समय में खसरा नम्बर 798, 799 अर्थात अपने हक हिस्से की आराजी में जाने के लिए खसरा नम्बर 797 रकबा 20.0238 हैक्टेयर किस्म गै०मु० मगरी से अपनी आराजी में आती जाती है। प्रार्थिया की आराजी के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 797 की आराजी आई हुई है और उसके आगे आम सड़क सिणला से डिगरना जाने वाली आई हुई है। इस प्रकार प्रार्थिया की आराजी व आम सड़क के बीच में खसरा नम्बर 797 की आराजी आई हुई है जिस में से प्रार्थिया की कई वर्षो से अपनी आराजी में आती जाती है और अपनी आराजी का उपयोग व काश्त करती चली आ रही है। नकल जमाबन्दी खसरा 797 गै०मु० मगरी व आम रास्ते खसरा नम्बर 674 की प्रार्थना पत्र साथ पेश है

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:14:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला-

जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थिया जो कि अपनी आराजी में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 797 में से कुछ भू-भाग रास्ते के रूप में उपयोग-उपभोग में लेती चली आ रही है, जिसे नजरी नक्शे में लाल स्याही से मार्क ए बी सी डी दर्शाया गया है। उक्त नजरी नक्शे में वर्णित आराजी से प्रार्थिया अपनी आराजी में आने जाने हेतु पिछले कई वर्षो से उपयोग में ले रही है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में लाल स्याही से वर्णित भू-भाग रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है और राजस्व रेकर्ड में उक्त भाग खसरा नम्बर 797 का हिस्सा है जिसकी किस्म गै.मु. मगरी है, जिसका मालिकाना हक अप्रार्थी के पास है तो इस प्रकार मुख्य सड़क से प्रार्थिया को अपनी आराजी में आने जाने हेतु नजरी नक्शे में वर्णित लाल स्याही के मार्क ए बी सी डी भू भाग को रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावे जिससे कि प्रार्थिया अपनी आराजी में आ सके उसे काश्त कर सके बिना किसी रोकटोक के उपयोग उपभोग कर सके। प्रार्थिया को अपनी आराजी में आने जाने हेतु कोई भी मौके पर वैकल्पिक एवं निकट्तम रास्ता मौजूद नहीं है तथा न ही राजस्व रेकर्ड में ऐसा कोई वैकल्पिक एवं निकट्तम रास्ता मौजूद है, जिससे कि प्रार्थिया अपनी आराजी में आसानी से आ जा सके एवं उसका उपयोग उपभोग कर सके। प्रार्थिया को अपनी आराजी में मौके पर आने जाने के लिए निकट्तम रास्ता जो नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी लाल स्याही से दर्शाया गया है इसी से पहले प्रार्थिया अपनी आराजी में आती जाती काश्त करती, खड़ाई बुवाई करती परन्तु अब आस पास के कुछ खातेदारो ने उक्त लाल स्याही से वर्णित मार्क ए बी सी डी भाग पर कांटे डालकर अतिक्रमण कर लिए व मौके पर प्रार्थिया की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता चल रहा था उसे बन्द कर दिया और उक्त नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते को बंद करने के बाद वर्तमान समय मे प्रार्थिया के पास मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है जिसे कि प्रार्थिया अपनी आराजी में आ जा सके और वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होने से प्रार्थिया को अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करने खड़ाई करने, कटाई करने, बुवाई करने, काश्त हेतु कृषि के उपकरण ले जाने आदि अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थिया के पास कोई निकट्तम एवं वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं होने से नजरी नक्शे में वर्णित मार्क ए बी सी डी लाल स्याही से दर्शित भू भाग को सार्वजनिक रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावे और मौके पर उक्त रास्ते को सुचारू करवाया जावें। जिससे कि प्रार्थिया अपनी आराजी का उपयोग उपभोग कर सके। इसलिए प्रार्थिया [illegible] और से यह प्रार्थना पत्र कायम करवाने रास्ता का श्रीमान [illegible] प्रार्थिया की आराजी में पहले आने जाने हेतु एक मात्र रास्ता नजरी [illegible] वर्णित मार्क ए बी सी डी लाल स्याही से वर्णित रास्ता उपयोग में आ रही थी परन्तु बाद में कुछ लोगों द्वारा उक्त रास्ते को बंद कर दिया तब प्रार्थिया ने अप्रार्थी को प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:14:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला-

पत्र दिनांक 17.04.2023 को प्रस्तुत कर रास्ते को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर मौके पर रास्ता सुचारू करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी ने स्पष्ट इन्कार कर दिया और राज्य सरकार की आराजी बताते हुए रास्ता देने से इन्कार कर दिया तब प्रार्थिया के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी सरहद मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में स्थित होने से उक्त प्रकरण का एक मात्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान को प्राप्त होने से यह प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। तहसीलदार जैतारण की जांच व मौका रिपोर्ट पत्रांक क्रमांक/भू.अ./24/1373 दिनांक 23.02.2024 के अनुसार यह सही है कि मौजा डिगरना के खसरा नम्बर 799 रकबा 2.5090 हैक्टेयार भूमि प्रार्थिया बिदामी पत्नी तुलछाराम जाति मेघवाल के नाम खातेदारी भूमि है उक्त भूमि में पहुँचने हेतु ग्राम डिगरना की सरकारी भूमि के खसरा नम्बर 797 किस्म गै0मु0 मगरी जो प्रार्थिया की खातेदारी भूमि के लगते हुए है जो खसरा नं. 674 किस्म गै0 मु0 रास्ता की भूमि से होते हुए खसरा नम्बर 797 मगरी में से 799 प्रार्थिया की खातेदारी भूमि से पहुँच हेतु सुलभ रास्ता प्रस्तावित है। प्रार्थिया द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यांतिक आवश्यक है। आत्यांतिक मांग का होने से निकटतम रिकोर्डेड रास्ते से निकटतम एवं न्यूनतम दुरी का रास्ता प्रस्तावित है जो फर्द मौका में नजरी नक्शा के रूप में दर्शाया गया है। फर्द मौका में दर्शाया गया प्रस्तावित न्यूनतम एवं निकटतम व्यावहारिक है। रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि फर्द मौका में नजरी नक्शे सहित वर्तमान मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति का पूर्ण उल्लेख है। मौके पर राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर ग्राम डिगरना के खसरा नम्बर 799 रकबा 2.5090 हैक्टेयर किस्म भूमि प्रार्थिया बिदामी पत्नी तुलछाराम जाति मेगवाल निवासी डिगरना के खसरा नम्बर 797 किस्म गै.मु. मगरी राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज है। खसरा नम्बर 799 जो प्रार्थिया की भूमि है में जाने हेतु राजस्व रेकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। उक्त भूमि के प्रस्तावित रास्ता हेतु भूमि का विवरण इस प्रकार खसरा नम्बर 797 किस्म गै0मु0 मगरी जो सरकारी है खसरा नं. 674 गै0मु0 रास्ता सिणला से डिगरना जाने वाली डामरीकृत सड़क से लगता हुआ है जो प्रार्थिया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 799 से भी लगती हुई है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थिया एवं पैरोकार सरकार की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस उभयपक्षकारान् पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:14:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला-

1. प्रार्थिया द्वारा अपनी खातेदारी आराजी पर पहुंच के लिए सरहद मौजा डिगरना, पटवार हल्का डिगरना, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान के खसरा नम्बर 798 रकबा 03-04 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 799 रकबा 15-10 बीघा की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थिया एक मात्र खातेदार काश्तकार है। जिस तक पहुँच के लिए वर्तमान में कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है लेकिन प्रार्थिया द्वारा अपने हक हिस्से की आराजी में आवागमन के लिए खसरा नम्बर 797 रकबा 20.0238 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 मगरी में कदमी रास्ते का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। अतः प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार कृषि कार्य हेतु खसरा संख्या 797 रकबा 20.0238 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 मगरी में से प्रार्थिया की आराजी खसरा नम्बर 798 व 799 तक सार्वजनिक रास्ता स्वीकृत कर उसका भू अभिलेख मे तरमीम करवाने का अनुतोष चाहा है।

2. भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल व पटवारी पटवार हल्का डिगरना द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया की खातेदारी भूमि ग्राम डिगरना, पटवार हल्का डिगरना के रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि फर्द मौका में नजरी नक्शे सहित वर्तमान मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति का पूर्ण उल्लेख है। मौके पर राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार ग्राम डिगरना के खसरा नम्बर 799 रकबा 2.5090 हैक्टेयर किस्म भूमि प्रार्थिया बिदामी पत्नी तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी डिगरना व खसरा नम्बर 797 किस्म गै.मु. मगरी राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज है। खसरा नम्बर 799 जो प्रार्थिया की भूमि है में जाने हेतु राजस्व रेकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। उक्त भूमि के प्रस्तावित रास्ता हेतु भूमि का विवरण इस प्रकार खसरा नम्बर 797 किस्म गै0मु0 मगरी जो सरकारी है खसरा नं. 674 गै0मु0 रास्ता सिणला से डिगरना जाने वाली डामरीकृत सड़क से लगता हुआ है। जो प्रार्थिया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 799 से भी लगती हुई है।

3. रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः-

251- क "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहां

(क)- कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)- कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से [illegible] नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी [illegible] के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि-

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:14:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला-

(A)– यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)– अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251ए में यह आज्ञापक विधिक प्रावधान है कि रास्ता ऐसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है जबकि उसकी आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो।

4. इस प्रकार पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया की ग्राम डिगरना में स्थित अपनी आराजी खसरा संख्या 798 रकबा 03–04 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 799 रकबा 15–10 बीघा किस्म बारानी दोयम तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थिया द्वारा अपने हक हिस्से की आराजी तक पहुंच मार्ग के लिए की गई मांग पूर्णतया उचित एवं विधि संगत है, तथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल एवं पटवारी पटवार हल्का डिगरना की संयुक्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थिया की आराजी तक पहुंच के लिए न्यूनतम एवं निकटतम अभिलिखित आम रास्ता सिणला से डिगरना जाने वाली डामरीकृत सड़क खसरा [illegible] 674 से राजकीय सिवाय चक की आराजी खसरा संख्या 797 किस्म गै0 मु0 मगरी की भूमि में से नजरी नक्शे में दर्शित प्रस्तावित [illegible] लम्बाई 106 मीटर एवं चौड़ाई 9.14 मीटर है जिसका रकबा 968 वर्गमीटर यानि 0.0968 हैक्टेयर है, को सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक दर्ज करना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:14:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला-

5. तहसील राजस्व लेखाकार जैतारण की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते के लिए प्रभावित भूमि की ग्राम डिगरना की प्रचलित डी.एल.सी. दर 1121340/- प्रति हैक्टेयर अर्थात 112.14 रूपये प्रति वर्गमीटर है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् प्रचलित डी.एल.सी. दर 1121340/- प्रति हैक्टेयर अर्थात 112.14 रूपये प्रति वर्गमीटर की दुगुनी अर्थात 224.28 रूपये प्रति वर्ग मीटर मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी खसरा नम्बर 797 रकबा 20.0238 हैक्टेयर में से कम किया गया कुल रकबा 968 वर्गमीटर अर्थात् 0.0968 हैक्टेयर के लिये कुल प्रतिकर राशि 2,17,200/- रूपये (अक्षरे दो लाख सत्राह हजार दो सौ रूपये मात्र) निर्धारित की जाती है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र बखूबी साबित होने व सारवान होने से इसे स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थिया की जोत तक पहुंच के लिए अभिलिखित आम रास्ता सिणला से डिगरना जाने वाली डामरीकृत सड़क खसरा संख्या 674 से राजकीय सिवाय चक आराजी खसरा संख्या 797 रकबा 20.02387 किस्म गै0मु0 मगरा में से होकर प्रार्थिया की आराजी खसरा संख्या 799 की सीमा तक भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल एवं पटवारी पटवार हल्का डिगरना की फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 106 मीटर लम्बा व 9.14 मीटर चौड़ा है जिसका कुल रकबा 968 वर्गमीटर अर्थात् 0.0968 हैक्टेयर बनता है, को अप्रार्थी खातेदार् की राजकीय सिवाय चक आराजी के कुल रकबे में से कम किया जाकर सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जाना तथा इसके प्रतिकर स्वरुप निर्धारित कुल राशि 2,17,200/- रूपये(अक्षरे दो लाख सत्राह हजार दो सौ रूपये मात्र) प्रार्थिया से प्राप्त कर खसरा संख्या 797 के प्रभावित खातेदारान् राजस्थान सरकार को प्रभावित रकबा एवं हिस्सा अनुसार भुगतान किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिया की खातेदारी आराजी ग्राम डिगरना, तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज0 के खसरा नम्बर 798 रकबा 3–04 बीघा किस्म [illegible] खसरा नम्बर 799 रकबा 15–10 बीघा की जमीन तक पहुंच मार्ग के लिये निकटतम अभिलिखित आम सड़क मार्ग(सिणला से डिगरना जाने वाली डामरीकृत सड़क) खसरा संख्या 674 से राजकीय सिवाय चक आराजी खसरा संख्या 797 में से होकर प्रार्थिया की की आराजी खसरा संख्या 799 की सीमा तक भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:14:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, जिला-

व पटवारी हल्का डिगरना की फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 106 मीटर लम्बा व 9.14 मीटर चौड़ा है जिसका कुल रकबा 968 वर्गमीटर अर्थात् 0.0968 हैक्टेयर बनता है, भूमि पर से अप्रार्थी खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि(राजकीय सिवाय चक) में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दुगुनी मानते हुए रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल 968 वर्गमीटर अर्थात 0.0968 हैक्टेयर के लिये कुल प्रतिकर राशि 2,17,200/–रूपये (अक्षरे दो लाख सत्राह हजार दो सौ रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थिया से प्राप्त कर खसरा संख्या 797 के खातेदार राजस्थान सरकार के भू राजस्व के राजकीय मद 0029 में जमा करें। तहसीलदार, जैतारण भू–अभिलेख में रास्ता अमल–दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। भू–अभिलेख निरीक्षक निम्बोल व पटवारी पटवार हल्का डिगरना द्वारा दिनाँक 22.02.2024 को तैयार संयुक्त फर्द मौका रिपोर्ट इस आदेश का भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला– ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक **06/05/2024** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:14:41 IST
Reason: SelfAttested